



2026:AHC:24983

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2663/2026

राहुल सलोनिया

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: संजय कुमार वर्मा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याची ने प्रतिवादी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, तहसील कानपुर सदर, जनपद कानपुर नगर को वाद संख्या 35257 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202503410135257) को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) को उद्धृत करना उचित होगा, जो यह अधिदेशित करती है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को इसे विधि के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:-

"(3). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-जिलाधिकारी द्वारा आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर संपन्न की जाएगी।"

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, तहसील कानपुर सदर, जनपद कानपुर नगर को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त वाद को संज्ञान में लें और इसका निस्तारण इसके गुण-दोष के आधार पर, विधि के अनुसार कड़ाई से, यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कर, परंतु बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षकारों के तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"